


**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर  
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 10 मई, 2013

क्रमांक एफ-2-4/सात-2/2009 :: राज्य शासन एतद्वारा आदेश जारी करने के दिनांक से जिलों में कार्यरत् खण्डलेखकों को 130/- (एक सौ तीस रूपये) प्रति दिन विश्राम दिवस काटकर निश्चित पारिश्रमिक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है ।

2/ उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के क्रमांक 232/सी.एन./2013- 07-00011/ बजट 5/वित्त/चार दिनांक 07.05.2013 द्वारा दी जाती है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(वाय0 पी0 दुपारे)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ-2-4/सात-2/2009  
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 10 मई, 2013

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर सूचनार्थ ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
  3. आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग. रायपुर
  4. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.
  5. समस्त कलेक्टर, छ.ग.
  6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, मंत्रालय की ओर राजस्व विभाग की वेबसाईट <http://cg.nic.in/revenue/> पर अपलोड करने हेतु ।
  7. आदेश फोल्डर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

